दिनांक 16.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 26/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट का संज्ञान लेकर तत्काल पोस्ट अपलोड करने वाली युवती की जीवनरक्षा हेतु की गई काउंसलिंग

दिनांक 15–05–2025 को जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना फेस–3, क्षेत्र निवासी लगभग 22 वर्षीय युवती द्वारा चूहे मार दवा का पैकेट खोलकर उस दवा को खाते समय के वीडियो को "सॉरी आज मै जा रही हूँ बहुत कोशिश की सब समझे मुझे, जिससे मैंने इतना प्यार किया वही मेरे साथ किया गुडबाय" यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 15–05–2025 को रात्रि 23:55 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री प्रशान्त कुमार द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवती की लोकेशन की जानकारी करके कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर को लगभग 13 मिनट के अन्दर प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना फेस–3 के उ0नि0 मय महिला आरक्षी के मात्र 05 मिनट के अन्तराल में युवती के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने तत्काल परिजनों के सहयोग से युवती को उल्टी कराकर घरेलु प्राथमिक उपचार कराया गया । युवती के स्वस्थ होने के उपरान्त जानकारी किए जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में कॉलिंग एजेंट के रूप में काम करती है। कुछ पर्सनल कारण और काम के लोड से परेशान होने की वजह से डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करना चाहती थी। स्थानीय पुलिस द्वारा समय से पहुँच कर परिजनों के

सहयोग से युवती को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउंसलिंग की गयी, जिस पर युवती द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवती के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01–01–2023 से 15–05–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 926 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना जानसठ

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 15.05.2025 को थाना जानसठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जानसठ खतौली मार्ग पर मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सरताज उर्फ भूरा घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–सलमान सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सरताज उर्फ भूरा के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, हिमान्चल प्रदेश के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त सलमान के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, हिमान्चल प्रदेश के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जानसठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सरताज उर्फ भूरा निवासी पलडी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता सफीपुर पट्टी कस्बा व थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

2–सलमान निवासी नसीरपुर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अमेठी/थाना मोहनगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 हजार रूपये नगद**
- **02 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 16.05.2025 को थाना मोहनगंज व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रस्तामऊ से फूला मार्ग पर स्थित आम के बाग में बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त

1–सुनील कुमार 2–अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–अनुज 4–आशीष कुमार 5–मकसूद 6–अजय कुमार 7–अमन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 हजार रूपये नगद, 02 मोटर साइकिल 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जिसमें अभियुक्त सुनील कुमार के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, अमेठी के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग व अभियुक्त अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र के विरूद्ध जनपद अमेठी, प्रतापगढ, रायबरेली के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त आशीष कुमार व अनुज के विरूद्ध जनपद अमेठी के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुनील कुमार निवासी गडेहरी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

2–अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र निवासी भेलाई खुर्द थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

3–अनुज निवासी रामपुर कोची थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

4–आशीष कुमार निवासी पूरे जोरई थाना इन्हौना जनपद अमेठी।

5–मकसूद निवासी पूरे लाल खां थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

6–अजय कुमार निवासी कैथागांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी।

7–अमन निवासी सरेसर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

<u>बरामदगी</u>

1–20 हजार रूपये नगद।

2–02 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना देवबन्द

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 दो पहिया वाहन, 04 मोटर साइकिल के कटे हुए चेचिस**
- **वाहनों के काटने के उपकरण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15/16.05.2025 की रात्रि थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुल्तानपुर नहर पुलिया पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सफवान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–शहनवाज सहित गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर अभियुक्त 3–अजीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 10 दो पहिया वाहन, 04 मोटर साइकिल के कटे हुए चेचिस, वाहनों के काटने के उपकरण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सफवान के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के थाना देवबन्द पर वाहन चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन व अभियुक्त शहनवाज व अजीम के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के थाना देवबन्द पर वाहन चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सफवान निवासी पठानपुरा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

2–शहनवाज निवासी मोहल्ला नेचलगढ कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

3–अजीम निवासी पठानपुरा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1– चोरी के 10 दो पहिया वाहन, 04 मोटर साइकिल के कटे हुए चेचिस।

2–वाहनों के काटने के उपकरण।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना इकोटेक प्रथम

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 15.05.2025 को थाना इकोटेक प्रथम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भांटी गोलचक्कर से शमशान घाट की ओर जाने वाले सर्विस रोड से 02 अभियुक्त 1–अमन 2–प्रियांशू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन निवासी रानौली लतीफपुर थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

2–प्रियांशू निवासी गुथावाली खुर्द थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की 07 मोटर साइकिल।

- **जनपद फतेहपुर/थाना किशनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना किशनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 सपठित धारा 149, 120बी भादवि व धारा 394 सपठित धारा 149 भादवि व 3(1)यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1– कृष्णपाल उर्फ किशनपाल उर्फ रामकृष्ण 2– राम स्वरूप उर्फ

साधौराम 3–विजयपाल 4–ननकवा उर्फ चैम्पियन उर्फ गया प्रसाद 5–स्वामी शरण को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रिंकू को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना सण्डीला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 04 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना सण्डीला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302, 201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त उमेश को आजीवन कारावास व 04 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद चित्रकूट/थाना मानिकपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 351(2), 115(2) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शारदा को 25 वर्ष कठोर कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महोबा/थाना कबरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महोबा पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना कबरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनुज को 12 वर्ष सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस०टी०एफ०ः-वर्ष-2022 में जनपद कौशाम्बी की बहुचर्चित लूट की घटना में शामिल रवि पुजारी गैंग का सक्रिय सदस्य व रूपये 50,000/-का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त संजू डोकरे मलाड वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 16-05-2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 599/2022 धारा 394/342 भादवि में वांछित 50,000/-रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजू डोकरे को मलाड वेस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>ः-

संजू डोकरे पुत्र सुनका डोकरे निवासी बडारीपारा 05 बाउण्ड्री चौकी के पास थाना डिडौसी मलाड ईस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय</u>

नर्सिंग लेन लाइफलाइन हॉस्पिटल थाना क्षेत्र मलाड वेस्ट मुम्बई 64 महाराष्ट्र। दिनांक 16-05-2025 समय 14:05 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह,

पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण व निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की गयी।

प्रयागराज टीम द्वारा जनपद कौशाम्बी से वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजू डोकरे की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त संजू डोकरे महाराष्ट्र के मलाड वेस्ट मुम्बई क्षेत्र में कहीं छिपकर रह रहा है। प्राप्त सूचना पर निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण अजय सिंह यादव, उदय प्रताप सिंह, अजय कुमार यादव व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम द्वारा मलाड वेस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र पहुँचकर नर्सिंग लेन लाइफलाइन हॉस्पिटल से अभियुक्त संजू डोकरे को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह मूलरूप से मलाड ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र का रहने वाला है जिसके विरूद्ध लूट, डकैती, मारपीट एवं रंगदारी मांगने आदि से सम्बन्धित अभियोग महाराष्ट्र के विभिन्न जनपदों में पंजीकृत है। उसके द्वारा वर्ष–2022 में अपने साथी रोशन यादव, कीर्ति सिंह सोलंकी, बिपुल पटेल व अन्य के साथ मिलकर थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत चार पहिया वाहन से गुजरात जा रहे व्यापारी की कार को रोककर 30 लाख रूपये की लूट की घटना किया था, जिसके सम्बन्ध में वादी श्री अजीत सिंह पुत्र लाखूजी सिंह निवासी ग्राम पर थाना सांतलपुर जिला पाटन गुजरात द्वारा थाना कोखराज पर मु0अ0सं0 599/2022 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना कारित करने के उपरान्त वह अपने साथी रोशन यादव के साथ बैंगलोर व पूणे भाग गया था। रोशन यादव व अन्य साथियों की गिरफ्तारी के उपरान्त से वह मलाड वेस्ट मुम्बई में छिपकर रह रहा था। अभियुक्त संजू डोकरे उपरोक्त मुम्बई के रवि पुजारी गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं थाना डिडौसी जनपद मलाड मुम्बई महाराष्ट्र का हिस्ट्रीशीटर भी है।

गिरफ्तार अभियुक्त संजू डोकरे उपरोक्त को थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 599/22 धारा 394/342 भादवि में गिरफ्तार कर थाना मलाड वेस्ट

मुम्बई 64 में दाखिल किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय 24 कोर्ट बोरीवली वेस्ट महाराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी द्वारा अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त संजू डोकरे उपरोक्त का ज्ञात अपराधिक इतिहास निम्नवत है:

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	529/1999	326/34 भादवि	डिडौसी	मलाड मुम्बई
2	343/2005	385/452/326/506(2)/34 भादवि	डिडौसी	मलाड मुम्बई
3	129/2006	387/34 भादवि	डिडौसी	मलाड मुम्बई
4	224/2008	395/397/34 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट	डिडौसी	मलाड मुम्बई
5	102/2011	324/323/506(2)/34 भादवि	डिडौसी	मलाड मुम्बई
6	295/2011	342/452/392/379/34 भादवि	डिडौसी	मलाड मुम्बई
7	130/2014	326/34 भादवि व 4/25/37(1)(अ) आर्म्स एक्ट	डिडौसी	मलाड मुम्बई
8	124/2017	439/395/397/120बी भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट	बदनापुर	कल्याण मुम्बई
9	60/2018	392/397/34 भादवि	खोगॉव	सेन्ट्रल मुम्बई
10	391/2019	394/324/448/141/143/144/147/149 भादवि	डिडौसी	मलाड मुम्बई
11	454/2019	353/332/143/145/147/149/504 506 भादवि	डिडौसी	मलाड मुम्बई
12	470/2022	324/323/504/506/34 भादवि	बंगूरनगर	मलाड ईस्ट मुम्बई
13	**599/2022**	**394/342 भादवि (वांछित व 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित)**	**कोखराज**	**कौशाम्बी**

————————

दिनांक 16.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 27/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रभावशाली भागीदारी

दिनांक 14–15 मई, 2025 को चेन्नई, तमिलनाडु में बीपीआरएंडडी तथा तमिलनाडु पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 11वें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश से सात महिला अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल सम्मिलित हुआ। इस प्रतिनिधिमंडल में एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO) श्रीमती पद्मजा चौहान, एसपी WCSO/1090 श्रीमती वृंदा शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक सम्भल श्रीमती अनुकृति शर्मा सहित अन्य महिला अधिकारी शामिल थीं ।

सम्मेलन में देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अर्धसैनिक बलों तथा एनआईए जैसी विशिष्ट एजेंसियों से डीजी/एडीजी स्तर से लेकर कांस्टेबल तक की महिला पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य महिला पुलिस बल की भागीदारी को बढ़ाने, उन्हें मुख्यधारा में लाने तथा पुलिसिंग के हर क्षेत्र में उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना रहा। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आये प्रतिनिधियों ने अपने राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुतियाँ पेश कीं।

इस वर्ष के सम्मेलन की निम्नलिखित प्रमुख विषय थे :

1. भर्ती, प्रशिक्षण, लैंगिक संवेदनशीलता, वर्दी एवं उपकरण ।
2. मुख्यधारा में लाना एवं कैरियर में प्रगति ।
3. कार्य और जीवन में संतुलन ।
4. कल्याणकारी उपाय एवं मानसिक स्वास्थ्य ।
5. महिला सशक्तिकरण हेतु विचार एवं दृष्टिकोण ।
6. मानव तस्करी की रोकथाम में श्रेष्ठ कार्यप्रणालियाँ ।

इस अवसर पर आईपीएस वृंदा शुक्ला, एसपी WCSO/1090 द्वारा "महिला सशक्तिकरण हेतु विचार एवं दृष्टिकोण" विषय पर प्रस्तुति दी गई। उन्होंने मिशन शक्ति, महिला सहायता डेस्क, महिला बीट प्रणाली, ITSSO पोर्टल के माध्यम से महिला अपराधों की समयबद्ध जांच तथा उच्च दंडात्मक दर जैसे उत्तर प्रदेश के सशक्त मॉडल को साझा किया, जिसने राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर महिला अपराधों की रोकथाम और न्याय सुनिश्चित किया है। प्रस्तुतिकरण में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत राजनैतिक इच्छाशक्ति और नेतृत्व को भी रेखांकित किया गया, जिन्होंने इस अभियान को राज्य की प्राथमिकता बनाया ।

सम्मेलन में यह स्पष्ट किया गया कि जब तक महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक किसी भी प्रकार का सशक्तिकरण पूर्ण नहीं कहा जा सकता और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को सशक्तिकरण के इस मिशन का केंद्र–बिंदु बनाया गया है। उत्तर प्रदेश को देश में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों वाले राज्य के रूप में भी सराहा गया, जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान रहा।

बीपीआरएंडडी द्वारा सम्मेलन में पुलिसिंग में विशिष्ट योगदान देने वाली महिला अधिकारियों के सम्मान हेतु नामांकन भी आमंत्रित किए गए थे। देशभर से चयनित 14 सम्मानित अधिकारियों में एडीजी WCSO श्रीमती पद्‌मजा चौहान का भी चयन किया गया। उन्हें मिशन शक्ति के पांचवें चरण में महिला बीट सिपाहियों की भूमिका के विस्तार तथा महिला अपराधों की रोकथाम हेतु एसिड बिक्री, अश्लील साहित्य/वीडियो की जब्ती, अवैध स्पा/मसाज सेंटर की जांच, महिला आश्रय गृहों की निगरानी और जमानत पर छूटे अपराधियों पर निगाह रखने जैसे अभियानों के लिए सम्मानित किया गया। इन अभियानों के माध्यम से राज्य भर में सैकड़ों एफआईआर व रोकथामी कार्यवाहियां की गईं।

सम्मेलन के उद्‌घाटन सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय तथा समापन सत्र की अध्यक्षता तमिलनाडु के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा की गयी ।

11th NATIONAL CONF
SESS
ELFARE MEASUR
INCLUDING M

<u>बाये से दाये:</u> 1–हे0कां0 ऊषा भाटी, सहारनपुर 2–निरीक्षक नीरज चौधरी, गौतमबुद्धनगर 3–श्रीमती वृन्दा शुक्ला (आईपीएस) एसपी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन/1090 4–श्रीमती पद्मजा चौहान (आईपीएस) एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन/1090 5–श्रीमती किरन यादव (आईपीएस) डीआईजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन 6–सुश्री अनुकृति शर्मा (आईपीएस) एडिशनल एसपी सम्भल 7–श्रीमती तनु उपाध्याय (पीपीएस) डिप्टी एसपी कानपुर देहात।

———————